प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः–संत जोसेफ पब्लिक स्कूल, जी0डी0 कॉलेज के पीछे, काली नगर, बेगुसराय को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तहत निबंधित "काली चरण सिंह मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट" के द्वारा किया जा रहा है। निबंधित सोसाइटी में एक परिवार का प्रभुत्व न हो होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया हैं। संस्था के विभिन्न सदस्यों के नाम, पता और उनके पेशे के संबंध में सूचना दी गयी है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। ट्रस्ट मे सदस्यों की सख्या 5 है। सभी का पेशा सामाजिक कार्य अथवा शिक्षा बताया गया है। दोनों सामान्य शब्द है जिससे वास्तविक पेशे का ज्ञान नहीं होता है। अनिवार्य शर्त के अन्तर्गत ट्रस्ट के पेशे की जानकारी आवश्यक है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ट्रस्ट के सदस्यों के वास्तविक पेशे की जानकारी प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगा।

2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फेन्चाईजी का उपयोग अथवा किसी विद्यालय के Brand name का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नही करने का दावा किया है। परन्तु विद्यालय का नाम "संत जोसेफ पब्लिक स्कूल" से एक Christian Missionary द्वारा संचालित अल्प संख्यक विद्यालय का बोध होता है। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 3007/05 अशोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया एवं अन्य में दिनांक 09.03.2005 को पारित न्यायादेश (न्यायादेश की प्रति संलग्न) को ध्यान में रखना होगा कि नाम से आम जनता दिग्भ्रमित न हो जाय। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली विद्यालय को अपना नाम बदलने के लिए यथाआवश्यक समय देना चाहेगा तथा यह सुनिशचित करना चाहेगा कि नाम से भ्रम न फैले।

3. विद्यालय के सोसायटी के नाम से 2 एकड़ 5 डीसमील भूमि 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। उक्त भूमि पर निर्मित भवन में विद्यालय संचालित है। आवेदन के अनुसार भवन एवं अन्य सुविधा केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को अपनी agency के द्वारा विद्यालय का स्थल नीरिक्षण कर विद्यालय के द्वारा सुचना को सम्पुष्ट कर लेना होगा।

4. विद्यालय में **14** शिक्षक हैं, जिनमें **7** प्रशिक्षित हैं विद्यालय के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षित हैं जिनकी नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर की जाती है आवेदन के साथ केवल विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है। ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है जिससे यह स्पस्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जॉचोपरान्त यह सुनिशचित करना

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तो के अुनसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रसंगाधीन न्यायदेश के आलोक में स्कूल किसी ऐसे नाम का उपयोग नही करें जिससे भ्रम उत्पन्न होता है ।

11. शर्त्तो के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तो के आधार पर संत जोसेफ पब्लिक स्कूल, जी0डी0 कॉलेज के पीछे, काली नगर, बेगुसराय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है

13. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.08.2000 तथा शपथ पत्र दिनांक 05.08.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 697 पटना, दिनांकः– 7.11.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, संत जोसेफ पब्लिक स्कूल, जी0डी0 कॉलेज के पीछे, काली नगर, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा